



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

22 अग्रहायण, 1944 (श०)

संख्या - 586 राँची, मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----

अधिसूचना

21 अक्टूबर, 2022

**संख्या-1/पी०-105/2022 का.-6735--**सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पद पर पदस्थापित श्री हिमांशु मोहन, भा.प्र.से. (झा:2016) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

**संख्या-1/पी०-105/2022 का.-6736--**अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापित श्री मनीष कुमार, भा.प्र.से. (झा:2018) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

**संख्या-1/पी०-105/2022 का.-6737--**अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री अभिजीत सिन्हा, भा.प्र.से. (झा:2018) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

**संख्या-1/पी०-105/2022 का.-6738--**अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के पद पर पदस्थापित श्री ऋतुराज, भा.प्र.से. (झा:2018) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

**संख्या-1/पी०-105/2022 का.-6739--**अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित श्री रवि आनन्द, भा.प्र.से. (झा:2018) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

**संख्या-1/पी०-105/2022 का.-6740--**अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री दिनेश कुमार यादव, भा.प्र.से. (झा:2018) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

**संख्या-1/पी०-105/2022 का.-6741--**अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्री संदीप कुमार मीना, भा.प्र.से. (झा:2019) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें कोडरमा अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है ।

**संख्या-1/पी०-105/2022 का.-6742--**पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री आशीष अग्रवाल, भा.प्र.से. (झा:2020) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर, देवघर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मधुपुर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है ।

**संख्या-1/पी०-105/2022 का.-6743--**पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री अनिकेत सचान, भा.प्र.से. (झा:2020) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, खूंटी के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें खूंटी अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है ।

**संख्या-1/पी०-105/2022 का.-6744--**पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री दीपांकर चौधरी, भा.प्र.से. (झा:2020) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें देवघर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

**संख्या-1/पी०-105/2022 का.-6745--**पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री पीयूष सिन्हा, भा.प्र.से. (झा:2020) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम (जमशेदपुर) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें धालभूम (जमशेदपुर) अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

**संख्या-1/पी०-105/2022 का.-6746--**पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री रवि जैन, भा.प्र.से. (झा:2020) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें गुमला अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

**संख्या-1/पी०-105/2022 का.- 6747--**पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत सुश्री रीना हंसदा, भा.प्र.से. (झा:2020) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चक्रधरपुर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें चक्रधरपुर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**विनोद कुमार,**  
सरकार के अवर सचिव।

-----